

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/

दिनांक -

आदेश

श्री रामलाल सुथार नर्स-2, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,नागौर को दिनांक 20.04.2019 से 29.04.2019 तक कुल 10 दिवस विदेश भ्रमण (मलेशिया) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

- 1 कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- 2 विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- 3 अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- 4 विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- 5 विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 6 विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/वी-1003/19/429

दिनांक - 22-04-19

प्रतिलिपि सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,नागौर
- 2 राजकीय जे0 एल0 एन0 अस्पताल नागौर।
- 3 संबद्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर